भाग-III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 जनवरी, 2013

संख्या का०आ० 1/पं०अ० 17/1887/धा० 38/2013.--पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 38 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 107/पं०अ० 17/1887/धा० 38/96, दिनांक 24 जुलाई, 1996 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा उक्त धारा में प्रयोजनार्थ निम्नलिखित फीसों का मापमान नियत करते है :--

(1) जब पंजीकृत विलेख द्वारा अथवा किसी अदालत की किसी डिक्री अथवा आदेश अथवा पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 के अध्याय IX के अधीन किसी विभाजन को करने या की पुष्टि करने वाले किसी राजस्व अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश द्वारा अधिकार के अर्जन अथवा हित से सम्बन्धित किसी प्रविष्टि अथवा निजी विभाजन के अभिलेख में समावेशन का निर्देश करते हुए उपखण्डाधिकार द्वारा अधिकार अर्जन या हित में दो सौ रुपये प्रति इन्तकाल फीस प्रभारित की जायेगी। इसके अतिरिक्त 50/- रुपये की राशि प्रति इन्तकाल सर्विस प्रभार के रूप में प्रभारित की जायेगी जो जिला स्तर पर जिला सूचना प्रौद्योगिकी संस्था (डी०आई०टी०एस०) में जमा किया जायेगा। सर्विस प्रभारों से सम्बन्धित आवश्यक हिदायतें अलग से जारी की जायेगी:

परन्तु साक्ष्यांकन अधिकारी किसी अस्वीकृत इन्तकाल पर फीस माफ कर सकता है जब उसकी राय में उस व्यक्ति, जिसके पक्ष में इन्तकाल की प्रविष्टि की थी से फीस वसूल करना उचित न होगा।

(2) पूर्व पैरे में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित द्वारा अधिकार के अर्जन अथवा हित के सम्बन्ध में प्रविष्टियों पर कोई फीस:--

(1) पंजाब भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1955 (1956 का पंजाब अधिनियम 45), के अधीन भू-दान यज्ञ बोर्ड अथवा भू-दान धारक पर ; और

(2) ग्रामीण जनता आवास स्कीम के अधीन अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के सदस्यों को निःशुल्क आवासीय प्लाटों के अलाट करने के सम्बन्ध में, प्रभारित नहीं की जायेगी।

कृष्ण मोहन,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 7th January, 2013

No. S.O. 1/P.A. 17/1887/S. 38/2013.—In exercise of the power conferred by sub-section (I) of section 38 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887), and in supersession of Haryana Government, Revenue Department, Notification No. S.O.107/P.A. 17/1887/S. 38/96, dated the 24th July, 1996, the Governor of Haryana hereby fixes the following scale of fees for the purpose of that section:—

(1) When the entry relates to the acquisition of a right or interest by a registered deed or by a decree or order of a court or by an order of a Revenue Officer making or affirming a partition under chapter IX of the Punjab Land Revenue Act, 1887 or directing the incorporation in the record of a private partition, acquisition of a right or interest by inheritance, the fee of two hundred rupees per mutation shall be charged. Besides an amount of ₹50/- per mutation shall be charged as service charges which shall be deposited in the District information Technology Society (DITS) at district level. Necessary instructions pertaining to service charges shall be issued separately:

Provided that the attesting officer may remit the fee on any rejected mutation when in his opinion it would not be proper to recover it from the person in whose favour the mutation was entered.

(2) Notwithstanding anything contained in the preceding paragraph, no fee shall be charged in respect of entries relating to the acquisition of a right or interest by the:—

(i) Bhudan Yagna Board or the Bhudan Holder under the Punjab Bhudan Yagna Act, 1955 (Punjab Act 45 of 1956); and

(ii) Member of Scheduled Castes and Backward Classes in respect of residential plots allotted to them free of cost under the Gramin Janta Housing Scheme.

KRISHNA MOHAN,
Additional Chief Secretary and Financial
Commissioner to Government Haryana, Revenue and
Disaster Management Department.

50663-L.R.-H.G.P., Chd.